अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 63/2018

विक्रम सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. खुशी मोहम्मद पुत्र इदु जाति मुसलमान काजी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
2. कमला कंवर पत्नी समन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
3. किशन सिंह पुत्र बैरीशाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
4. खेमसिंह दत्तक पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
5. गंगासिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
6. गीता देवी पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
7. गोपाल प्रसाद खम्माराम जाति कुमावत निवासी गांगियासर तहसील मलसीसर
8. चन्दना पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर
9. जयराम पुत्र गोपाल प्रसाद जाति कुमावत निवासी गांगियासर तहसील मलसीसर
10. जरीना बानो पत्नी बाबू खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
11. दयाराम पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
12. दलीपसिंह पुत्र ओनाड़ सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
13. देवेन्द्र सिंह पुत्र समन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
14. नरोतम सिंह पुत्र ओनाड़ सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
15. निजामुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन सिरोही जाति तेली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
16. निसार अहमद पुत्र अन्नेमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
17. फतेह सिंह दत्तक पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
18. फूल कंवर पत्नी भोपाल सिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
19. बजरंगलाल पुत्र मोकाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
20. बन्नेसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
21. बबीता देवी पत्नी महीपाल सिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
22. बिमला देवी पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
23. बिरजूसिंह पुत्र बैरीशाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
24. भरत सिंह पुत्र ओनाड़ सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
25. भागीरथ सिंह पुत्र बैरीशाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
26. मदन सिंह पुत्र कलेसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
27. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
28. मोहम्मद अयुब पुत्र नानूदीन जाति तेली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
29. रणजीत सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
30. राकेश सिंह पुत्र रामकरण सिंह जाति जाट निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर
31. लक्षमण सिंह पुत्र बैरीशाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
32. श्यामसिंह पुत्र बैरीशाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
33. शीशराम पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
34. संजू देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

35. सुनिता पत्नी संजय जाति जाट निवासी टमकोर तहसील मलसीसर
36. सबीरा पत्नी निजामुदीन जाति तेली निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
37. सुमेर सिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
38. सुरेश सिंह पुत्र समन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
39. सरोज कवंर पुत्री समन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर
40. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन, धोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अं. आ0 1 नियम 10 जा.दी. सपठित अं.आ. आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 जा.दी.

ऐडवोकेट (वादी) प्रार्थी :– श्री शिवनारायण सिंह
ऐडवोकेट (प्रतिवादी) अप्रार्थी :– श्री संदीप काजला

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.03.2022

उनवानी वाद में वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी सपठित अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा.दी. इस कदर पेश किया कि उक्त उनवानी दावा में प्रतिवादीगण नम्बर 18, 20, 23, 26 व 29 की मृत्यू हो जाने के बाबत इनके सम्मनों पर रिपोर्ट आई है। असल में उक्त तथ्य के बारे में वादी ने अपने वकील साहब को दावा करने से पूर्व अवगत करवा दिया था परन्तु सहवन से मृतक प्रतिवादीगण नम्बर 18, 20, 23, 26 व 29 को भी दावा में प्रतिवादीगण की हैसियत से पक्षकार बना दिया जिसके अनुसार उक्त अनुसार इनके सम्मनों पर इनकी मृत्यू हो जाने की रिपोर्ट आई है।

मृतक प्रतिवादी नम्बर 18 फूल कवंर की मृत्यू के बाद उसके वारिसान में उसका मृतक पुत्र रणजीत सिंह, एक अन्य पुत्र गंगासिंह है तथा मृतक पुत्र रणजीत सिंह को प्रतिवादी नम्बर 29 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार मृतक प्रतिवादी नम्बर 18 की मृत्यू के बाद उसके वारिसान को नीचे लिखे अनुसार पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया जाना न्यायोचित है :–

(18) फूल कवंर पत्नी भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर जिला झुझुनू (मृतक)
18/1 गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर जिला झुझुनू
(29) रणजीत सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति जाट निवासी मलसीसर जिला झुझुनू (मृतक)
29/1 श्रीमती प्रेमकवंर आयु 62 वर्ष स्त्री रणजीत सिंह जाति राजपूत
29/2 भवानी सिंह आयु 42 वर्ष पुत्र रणजीत सिंह
29/3 बलवन्त सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र रणजीत सिंह
29/4 मु.मीना कवंर आयु 32 वर्ष पुत्री रणजीत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मलसीसर हाल डिप्टी कमाण्डेन्ट रणजीतसिंह शेखावत मकान न0 101 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर

प्रतिवादी नम्बर 20 की मृत्यू के बाद उसके वारिसान में उसकी पत्नी श्रीमती श्री कवंर है जिसने मृतक प्रतिवादी नम्बर 20 का तर्का पाया है इसलिए मृतक प्रतिवादी नम्बर 20 के नाम दावा से हजफ किया जाकर उसके वारिस को नीचे लिखे अनुसार पक्षकार प्रतिवादी बनाया जाना न्यायोचित है :–

(20) बन्नेसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर जिला झुझुनू
20/1 श्रीमती श्री कवंर आयु 90 वर्ष स्त्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर जिला झुझुनू

मृतक प्रतिवादी नम्बर 23 की मृत्यू के बाद अविवादित मृतक प्रतिवादी नम्बर 23 का कोई वारिस नहीं है इसलिये मृतक प्रतिवादी नम्बर 23 के नाम पता के आगे "मृतक" लिखा जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

मृतक प्रतिवादी नम्बर 26 की मृत्यू के बाद मृतक के वारिसान में उसकी पत्नी श्रीमती ओमीकवंर व पुत्र विक्रम सिंह व पुत्री पूनम कवंर है जिन्होने ही मृतक प्रतिवादी नम्बर 26 का तर्का पाया है इसलिए मृतक प्रतिवादी नम्बर 26 का नाम दावा से हजफ किया जाकर उसके स्थान पर उसके उक्त वारिसान को नीचे लिखे अनुसार पक्षकार बनाया जाना न्यायाचित है :–

(26)मदन सिंह पुत्र कलेसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

26/1 श्रीमती ओमीकवंर आयु 56 वर्ष स्वीमदनसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर झुझुनू

26/2 विक्रम सिंह आयु 36 वर्ष पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर जिला झुझुनू

26/3 मु. पूनम कवंर आयु 32 वर्ष पुत्री मदनसिंह जाति राजपुत निवासी मलसीसर जिला झुझुनू

अतः मृतक प्रतिवादी नम्बर 18, 20, 23, 26 व 29 का नाम दावा में हजफ किया जाकर इनके वारिसान को उक्त अनुसार पक्षकार प्रतिवादीगण बनाये जाने व मृतक प्रतिवादीगण के नाम पता के आगे मृतक लिखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी) को दिलवाई गई। वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को खारीज करते हुये कथन किया कि प्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादीगण नम्बर 18, 20, 23, 26 व 29 की मृत्यू कब हुई इसका अकंन प्रार्थना पत्र में नहीं किया है इस तथ्य को जानबुझकर छुपाया गया है। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान तब ही लागु होते है जब दावा दायर करने के बाद मृत्यू हुई हो दावा दायर करने से पूर्व मृत्यू होने पर आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान लागु नहीं होते है। वादी ने वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 40 की शामिल की कृषि भूमि होना दर्ज कर प्रार्थना पत्र में वर्णित व्यक्तियों के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है व इस बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रतिवादी नम्बर 18 फूलकवंर का देहान्त दिनांक 16.02.2018 को हो गया था व उसके बाद में दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 20 बन्नेसिंह का देहान्त दिनांक 01.05.1996 को हुआ था स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रतिवादी न0 20 के विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 23 बिरजुसिंह का देहान्त भी दावे से 8 साल पहले से भी अधिक समय पहले हो गया था व प्रतिवादी नम्बर 23 बिरजुसिंह की सगी बहने मौजुद है जिनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 26 मदनसिंह का देहान्त दिनांक 26.12.2017 को दावा दायरी से पहले हो गया था। प्रतिवादी न0 26 के वारिसान का सही पता दर्ज नहीं किया गया है मदनसिंह की लड़की पूनम कंवर विवाहित है व उसके पति का नाम व पता छुपाया है। प्रतिवादी नम्बर 29 रणजीतसिंह का देहान्त 07.11.2001 को अस्पताल बीकानेर में हुआ था व उसकी पुत्री मीनाकवंर विवाहित है उसके पति का नाम व पता दर्ज नहीं किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 29 के विधिक प्रतिनिधिगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा मियाद बाहर होने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में आदेश 1 नियम 10 व आदेश 22 नियम 4 सीपीसी परस्पर विरोधी प्रावधान दर्ज किये है इन प्रतिवादीगण के खिलाफ मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का है व स्थाई निषेघाज्ञा के अनुतोष की मियाद 3 साल है इस कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है व मृतक व्यक्तियों के खिलाफ दावा होने से दावा खारीज होने योग्य है। जवाब दावा दिनांक 05.02.2019 को पेश किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण न0 18, 20, 23, 26 व 29 के बाबत तथ्यों का उल्लेख करने के बावजूद भी जानबुझकर करीब एक साल बाद में देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाकर दावा खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर जवाब देही पूर्ण होने पर बहस वकील पक्षकारान श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (वादी) ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मृतक की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जावे तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) कि ओर से पेश किये गये जवाब दावा दिनांक 05.02.2019 की मद संख्या 1 में प्रतिवादी संख्या 18, 20, 23, 26 व 29 का देहान्त होने दर्ज किया हुआ है साथ ही आदेशिका दिनांक 21.01.2020 में भी इस बात का उल्लेख दर्ज हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 18, 20, 23, 26 व 29 का देहान्त दावा दायरी से पूर्व हो चुका है। दावा में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के लिये 3 वर्ष मियाद है प्रतिवादी संख्या 29 का देहान्त 15 वर्ष व प्रतिवादी संख्या 23 बिरजुसिंह का देहान्त 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 23 के बहीन जिन्दा है उसे वारिस नहीं बनाया गया है मरे हुये लोगो के खिलाफ दावा पेश हुआ है जो पोषणीय नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 22 नियम 4 खारीज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने दौराने बहस प्रार्थी (वादी) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, आदेश 22 नियम 4 खारिज करने के पक्ष में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. आरआरटी 2010(2)पेज 1207 :– माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में दायर डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 448/2010 उनवानी अपील रामस्वरूप बनाम सत्यनारायण वगैरह निर्णय दिनांक 02.08.2010
2. आरआरटी 2010(2)पेज 1228 :– माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर निगरानी याचिका संख्या 790/2016 उनवानी हरजीन्द्र सिंह बनाम महिन्द्र सिंह वगैरह निर्णय दिनांक 17. 07.2017
3. आरआरटी 2016(2) पेज–1200 :–माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर निगरानी याचिका संख्या 3647/2016 उनवानी जगदीश बनाम नत्थू वगैरह निर्णय दिनांक 20.07.2016
4. आरबीजे 2019 पेज–767 :–माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर निगरानी याचिका संख्या 2813/2019 उनवानी रोहिताश बनाम राजेन्द्र दयाल आदि निर्णय दिनांक 22.11.2019

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रथमदृष्टया यह तथ्य स्पष्ट है कि मृत व्यक्तियों की जानकारी होते हुये भी मृत व्यवितयों के विरूद्व वादपेश किया गया है जिसकी पुष्टि प्रार्थी (वादी) वकील के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, आदेश 22 नियम 4 में दर्ज तथ्य "असल में उक्त तथ्य के बारे में वादी ने अपने वकील साहब को दावा करने से पूर्व अवगत करवा दिया था" से होती है। साथ ही प्रार्थी (वादी) ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी अंकित किया है कि "उक्त दावा में प्रतिवादीगण नम्बर 18, 20, 23, 26 व 29 की मृत्यु हो जाने के बाबत इनके सम्मनों पर रिपोर्ट आई है" । इस प्रकार एक ही प्रार्थना पत्र में मृत व्यक्तियों की जानकारी को लेकर दो भिन्न–भिन्न तथ्य पेश किये गये है जो प्रार्थी (वादी) के मिथ्या व झुठा होने की ओर इशारा करता है। वादी द्वारा वाद पत्र दिनांक 11.07.2018 को पेश किया गया था। वाद पत्र पेश करने के लगभग 1 वर्ष 6 माह पश्चात अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा पेश किये गये जवाब दावा की धारा 1 में दर्ज मृत व्यक्तियों की जानकारी के पश्चात प्रार्थी (वादी) द्वारा दिनांक 04.02.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, आदेश 22 नियम 4 पेश किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों से इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि प्रार्थी (वादी) द्वारा जानबुझकर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से मृत व्यक्तियों के विरूद्व वाद पेश किया गया है अन्यथा वाद पत्र पेश करने की तिथि तथा प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश करने की तिथि के मध्य कभी भी सहवन से हुई भुल को सुधार पर मृत व्यक्तियों के विरूद्व पेश किये गये वाद पत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, आदेश 22 नियम 4 पेश किया जा सकता था।

विधि अनुसार आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. अनुसार किसी व्यक्ति को वाद में पक्षकार बनाया जा सकता है:–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ ... ★

1. जब किसी व्यक्ति का नाम वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था, और उसे इस रूप में सम्मिलित नही किया गया है।
2. जब उसकी उपस्थिति के बिना, वाद के प्रश्नों का पूरी तरह से निपटारा नही हो सकता है।

विधि के प्रावधानों के अनुसार स्थिति स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान उन्ही स्थिति में लागु होते है जहां दौराने दावा प्रतिवादी की मृत्यू हुई हो। दावा दायरी से पूर्व मृत व्यक्तियों की दशा में आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान लागु नहीं होते है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में मृत व्यक्तियों के विरूद्ध ही दावा दायर किया गया है ऐसी सूरत में आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान इस प्रकरण में लागु नहीं होते है। और आदेश 1 नियम 10 में यह स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति का नाम वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था और उसे इस रूप में संयोजित नहीं किया जा सका, तो पक्षकार बनाया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण मेंजानकारी के पश्चात भी मृत व्यक्तियों के विरूद्ध दावा पेश करना, तत्पश्चात तथाकथित 1 वर्ष 6 माह के लम्बे समय तक भी जानबुझकर अनभिज्ञ बने रहकर भुल सुधार नहीं करना,ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में धारा 151 जा.दी. के प्रावधानों के तहत वादी के न्यायिक हितों की रक्षार्थ अथवा सद्भाव में भुल सुधार का लाभ दिया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसा किये जाने से भविष्य में न्यायिक गतिविधियों में जटिलता आने अथवा न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रकरणों के दौहराव/पुनरावर्ति की पूर्ण संभावना रहती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अनभिज्ञता में मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश नहीं किया गया है बल्कि मृत व्यक्तियों के मृत्यु के तथ्यों से सुचित होने के बावजूद दावा दायरी एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश नहीं किया गया है बल्कि 5 मृत व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया गया है।

तमाम साक्ष्य सबूतों, तथ्यों एवं विधि के दृष्टांतों के मध्यनजर न्यायालय की राय में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज होने से वाद का स्वतः उपशमन होने से वाद वादी उपशमन में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/3/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर